न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी–काना राम आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–66/2024 विविध

वान्या चौधरी पुत्री श्री पियूष चौधरी उम्र 16 साल नाबालिग जरिये कुदरती वली माता मरवीन चौधरी पुत्री श्री विजेन्द्र भादू जाति जाट निवासी हाल अमरपुरा राठान 33 एसटीजी जिला हनुमानगढ़।

––प्रार्थी

बनाम

1. प्रेमप्रताप सिंह पुत्र श्री धन्नाराम जाति जाट निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. शोभा सिह पत्नी प्रेमप्रताप सिंह जाति जाट निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. पीठासीन अधिकारी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत राजस्व वाद संख्या–32/2024 व विविध राजस्व संख्या–11/2024, शीर्षक वान्या चौधरी बनाम प्रेम प्रताप सिंह आदि, न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल बाबत।

उपस्थितः–1. श्री प्रदीप मोहन भाटी अधिवक्ता–प्रार्थी।
2. श्री अजीत कुलहरी अधिवक्ता–अप्रार्थी सं. 1 ता 02।
3. श्री शिवराज सिंह राज. अधिवक्ता स्टेट की ओर से।

निर्णय दिनांकः–15.05.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा के समक्ष अपने परदादा धन्नाराम की चक 6 जे.जी. डब्ल्यू में 51 बीघा 16 बिस्वा स्थित कृषि भूमि जो श्री धन्नाराम की मृत्यु पश्चात उसके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई व बाद में खाता विभाजन होने पर प्रार्थीया के दादा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई जो पैतृक सम्पति होने के कारण उसमें प्रार्थीया का जन्मतः हक व अधिकार है। प्रार्थीया ने अपने विरास्तन हको की घोषणा हेतु एक राजस्व वाद संख्या 32/2024 शीर्षक वान्या चौधरी बनाम प्रेम प्रताप सिंह आदि प्रस्तुत किया व इस राजस्व वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विविध राजस्व संख्या 11/2024 शीर्षक वान्या चौधरी बनाम प्रेम प्रताप सिंह आदि प्रस्तुत किया। न्यायालय सहायक कलक्टर भादरा द्वारा उक्त विविध राजस्व प्रकरण में दिनांक 28.02.2024 को वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने व बेचान नहीं करने का स्थगन आदेश पारित किया गया है व आगामी पेशी 02.04.2024 नियत की गई। दिनांक 02.04.2024 को अप्रार्थीगण सख्या 1 व 2 व प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीएक्ट के पक्षकार अप्रार्थीगण सख्या 3 से 5 ने अपना जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया व न्यायालय द्वारा आगमी पेशी 04.04.2024 नियत की गई है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 3 अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के अनुचित दबाव व प्रभाव में है, इस कारण उक्त पत्रावली में पीठासीन अधिकारी द्वारा मात्र दो ही दिन की तारीख पेशी नियत की है व अप्रार्थीगण सख्या 1 व 2 ने सरेआम प्रार्थीया की माता को धमकी दी है कि वे न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश को निरस्त करवायेंगे व उक्त प्रकरण का फैसला भी अपने पक्ष में करवायेंगे, जिससे स्पष्ट जाहिर है कि अप्रार्थी संख्या 3 सहायक कलैक्टर भादरा के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के प्रभाव में आकर उक्त प्रकरण में जारी स्थगन आदेश को निरस्त करेंगे। प्रार्थीया इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से निर्णय नहीं करवाना चाहती है। प्रार्थीया को उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण संख्या–3 के दबाव में है तथा प्रकरण में छोटी–छोटी

तारीखें दी जा रही है। प्रार्थीया को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है क्योंकि पीठासीन अधिकारी का रवैया अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की तरफ साफ झलक रहा है। न्यायहित में उक्त प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी भादरा के समक्ष लम्बित राजस्व वाद संख्या–32/2024 व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या–11/2024 शीर्षक वान्या चौधरी बनाम प्रेमप्रताप सिंह आदि को उक्त न्यायालय से मंगवाया जाकर अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व सहा. कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, संगरिया से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई।

अप्रार्थी सं. 01 व 02 जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में बिन्दु सं. 01 में उक्त प्रकरण में बिना अप्रार्थी को नोटिस दिये व बिना अप्रार्थी को सुने रहन बैय यथास्थिति का आदेश होने से एतराज नहीं है। बिन्दु सं. 02 में अप्रार्थी सं. 01 व 2 द्वारा नियत तारीख 02.04.2024 को अपना जवाब पेश करने से इन्कारी नहीं है। बिन्दु सं. 03 के कथन अस्वीकार है। अप्रार्थीपक्ष नं. 01 व 02 किसी प्रकार के राजनितिक नहीं है ना ही उनका अप्रार्थी सं. 03 पीठासीन अधिकारी पर कोई प्रभाव है ना ही वे पीठासीन अधिकारी के रिस्तेदार है केवल 2 दिन की पेशी महज इसलिए रखी गई क्योंकि दिनांक 28.02.2024 को आदेश एकतरफा व बिना सुने था इसलिए अप्रार्थीगण ने प्रथम पेशी पर जवाब पेश कर बहस सुनने का आग्रह किया था इसलिए पेशी 04.04.2024 पक्षकारान की सुनवाई के लिए रखी गई थी ताकि न्यायालय सुनकर जो भी विधि सम्मत आदेश हो, पारित कर सके। प्रार्थीया को एकतरफा आदेश अपने पक्ष में मिल चुका है इसलिए वे महज प्ररकण को लम्बा करना चाहते है व सुनवाई नहीं होने देना चाहते है। एकतरफा आदेश अप्रार्थीगण के लिए बहुत ही असुविधाप्रद व नुकसानदायक था और वे अपने पक्ष के सभी दस्तावेज जवाब के साथ पेश कर चुके थे ताकि पक्षकारान की सुनवाई होकर एकतरफा स्थग्न आदेश पर अंतिम निर्णय फरमाया जा सके। केवल छोटी तारीखे देने से अधिकारी का रवैया आलाचना का विषय नहीं हो सकता है और इस आधार पर पत्रावली को मुन्तकिल करवाने का हक प्रार्थीया को हासिल नहीं है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं. 03 से जवाब/टिप्पणी प्राप्त हुई जिसके अनुसार प्रार्थीया द्वारा किये गये कथन कि पत्रावली में पीठासीन अधिकारी द्वारा केवल मात्र दो ही दिन की आगामी पेशी दी गई है के अनुसरण में यह स्पष्ट है कि उक्त पत्रावली अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट में अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दिनांक 02.04.2024 को जवाब पेश कर बहस हेतु निवेदन किया गया था लेकिन चुनावी कार्यों के चलते उभयपक्षकारान की उपस्थिति में 2 दिन बाद तारीख पेशी नियत की गई थी। प्रार्थीया द्वारा किया गया कथन कि पीठासीन अधिकारी प्रतिवादी सं. 01 व 02 जो प्रार्थी के दादा व दादी है, उनके प्रभाव में आकर पत्रावली में छोटी–छोटी तारीख पेशी दी जा रही है, बिलकुल सारहीन व तथ्यहीन है क्योंकि अप्रार्थी सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का प्रतिवादी सं. 01 व 2 से किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रात्यक्ष रूप से कोई सम्बन्ध नहीं है और ना ही अप्रार्थीगण के किसी भी प्रकार के बैकग्राउड के बारे में जानकारी है। चूंकि पत्रावली न्यायालय हाजा में जैरकार है जिसमें गुणावगुण के आधार पर न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जाना है। प्रार्थी के उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति/एतराज नहीं है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया एक महिला है, अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 3 अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के अनुचित दबाव व प्रभाव में है, इस कारण उक्त पत्रावली में पीठासीन अधिकारी द्वारा मात्र दो ही दिन की तारीख पेशी नियत की है व अप्रार्थीगण सख्या 1 व 2 ने सरेआम प्रार्थीया की माता को धमकी दी है कि वे न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश को निरस्त करवायेंगे व उक्त प्रकरण का फैसला भी अपने पक्ष में करवायेंगे, जिससे स्पष्ट जाहिर है कि अप्रार्थी संख्या 3 सहायक कलैक्टर भादरा के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के प्रभाव में आकर उक्त प्रकरण में जारी स्थगन आदेश को निरस्त करेंगे। प्रार्थीया इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से निर्णय नहीं करवाना चाहती है। प्रार्थीया को उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए विचारण न्यायालय में लम्बित प्रार्थना पत्र किसी अन्यत्र न्यायालय में निस्तारण हेतु अन्तरित किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

अप्रार्थी सं. 01 व 02 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीपक्ष नं. 01 व 02 किसी प्रकार के राजनितिक नहीं है ना ही उनका अप्रार्थी सं. 03 पीठासीन

अधिकारी पर कोई प्रभाव है ना ही वे पीठासीन अधिकारी के रिस्तेदार है केवल 2 दिन की पेशी महज इसलिए रखी गई क्योंकि दिनांक 28.02.2024 को आदेश एकतरफा व बिना सुने था इसलिए अप्रार्थीगण ने प्रथम पेशी पर जवाब पेश कर बहस सुनने का आग्रह किया था इसलिए पेशी 04.04.2024 पक्षकारान की सुनवाई के लिए रखी गई थी ताकि न्यायालय सुनकर जो भी विधि सम्मत आदेश हो, पारित कर सके। प्रार्थीया ने उसे अप्रार्थीपक्ष सं. 01 व 02 द्वारा सरे आम धमकी देना गलत लिखा है उनके द्वारा ना ही आदेश के बारे में प्रार्थीया से कुछ कहा गया ना ही न्यायालय के बार में कोई टिप्पणी की गई क्योंकि प्रार्थीया को एकतरफा आदेश अपने पक्ष में मिल चुका है इसलिए वे महज प्ररकण को लम्बा करना चाहते है व सुनवाई नहीं होने देना चाहते है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में विचारण न्यायालय पर जो आक्षेप अंकित किये है वे झूठे व निराधार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 01 व 2 पर जो आरोप लगाये गये है, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकरी, संगरिया की टिप्पणी के अनुसार सब असत्य एवं मिथ्या है। प्रार्थी ने प्रश्नगत विचाराधीन प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। फिर भी प्रश्नगत प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो इसमें कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा के समक्ष लम्बित राजस्व वाद संख्या 32/2024 व विविध प्रार्थना पत्र सं. 11/2024 शीर्षक वान्या चौधरी बनाम प्रेम प्रताप सिंह आदि को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने के सम्बन्ध में है। पत्रावली पर उपलब्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा की टिप्पणी के अवलोकन अनुसार उनके ऊपर प्रार्थीया द्वारा लगाये गये आरोप सब असत्य एवं मिथ्या है। उक्त पत्रावली अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट में अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दिनांक 02.04.2024 को जवाब पेश कर बहस हेतु निवेदन किया गया था लेकिन चुनावी कार्यों के चलते उभयपक्षकारान की उपस्थिति में 2 दिन बाद तारीख पेशी नियत की गई थी। प्रार्थीया द्वारा किया गया कथन कि पीठासीन अधिकारी प्रतिवादी सं. 01 व 02 जो प्रार्थी के दादा व दादी है, उनके प्रभाव में आकर पत्रावली में छोटी–छोटी तारीख पेशी दी जा रही है, बिलकुल सारहीन व तथ्यहीन है, सही प्रतीत होते है। अधिवक्ता प्रार्थीया के कथनानुसार प्रार्थीया पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 3 अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के अनुचित दबाव व प्रभाव में है, इस कारण उक्त पत्रावली में पीठासीन अधिकारी द्वारा मात्र दो ही दिन की तारीख पेशी नियत की है तथा उक्त प्रकरण में जारी स्थगन आदेश को निरस्त करेंगे। प्रार्थीया इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से निर्णय नहीं करवाना चाहती है, प्रार्थीया के कथन उचित प्रतीत नहीं होते है परन्तु प्रार्थीया के ये कथन अप्रार्थी सं. 03 पर अविश्वास व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के राजनैतिक दवाब की आशंका प्रकट करते है। ऐसी स्थिति में सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा न्यायालय में लम्बित राजस्व वाद संख्या 32/2024 व विविध प्रार्थना पत्र सं. 11/2024 शीर्षक वान्या चौधरी बनाम प्रेम प्रताप सिंह आदि को सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर को स्थानान्तरित किया जाता है। सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया को अपनाते हुए प्रकरण का विधिसम्मत निस्तारण करें। सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त प्रकरण को सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर को शीघ्र भिजवाये। आदेश की प्रति सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा व सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनाक 15.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़